कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

Email ID: - deanshahdol@gmail.com
Website: - WWW.GMCSHAHDOL.ORG

Phone No. – 07652 - 243000
Fax No. – 07652 - 243111

क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.महा.वि./2022/.....2081..........   शहडोल, दिनांक 18/06/2022

"बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में अस्पताल प्रबन्धन के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति –2022"

<u>परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम</u>

क्रमांक	गतिविधि	तिथि
01	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	
02	ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	
03	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारम्भ तिथि	
04	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	
05	प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तिथि	
06	परीक्षा की संभावित तिथि	

नोट :– परीक्षा का समय एवं स्थान अभ्यार्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा।

परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों परीक्षा के लिये	रू. 1600/– (जी.एस.टी.सहित) (रू. 800/–एमपी ऑनलाईन शुल्क+रू. 800/– संस्था हेतु)
आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये	रू. 1500/– (जी.एस.टी.सहित) (रू. 800/–एमपी ऑनलाईन शुल्क+रू. 700/– संस्था हेतु)

- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए एम.पी.ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रू. 50 /–+ जी.एस.टी.देय होगा।
- परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर आब्जेक्शन हेतु एम.पी.ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रू. 50/– जी.एस.टी.देय होगा।

टिप्पणी :–

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है । यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

3. अभ्यर्थी को विनिश्चत मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नम्बर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र कमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

7. परीक्षा केंन्द्र पर आवेदन को काला बाल प्वांइट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

8. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी (ENGLISH) / हिन्दी (HINDI) होगा।

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

10. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण-पत्र का परीक्षण एम.पी.ऑनलाइन द्वारा नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण संस्था द्वारा किया जावेगा। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा।

11. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

परीक्षा आयोजन के नियम एवं निर्देश

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 4-19/2017/55-2 भोपाल, दिनांक 04.10.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श नियम 2018" एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/579/स्था. अराज/2021भोपाल, दिनांक 15.06.2021 द्वारा प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग अंन्तर्गत अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पदों की संशोधित अनुसूचियों के आधार पर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में निम्नलिखित रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है ।

स.क्र.	पद का नाम	रोस्टर अनुसार रिक्तियां					कुल
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
1	अस्पताल प्रबंधक	01	-	-	-	-	01
2	अस्पताल सहायक प्रबंधक	01	01	-	-	-	02
3	बायोमेडिकल इंजीनियर	01	-	-	-	-	01

नोट :- पदों की संख्या नियमानुसार बढ़ाई /घटाई जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

02 अर्हताएं एवं मासिक वेतन :-

सं. क्र.	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	न्यूनतम मासिक वेतन
1	2	3	4	5
1	अस्पताल प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 03 वर्ष का अनुभव।	60,000/-
2	अस्पताल सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।	40,000/-
3	बायोमेडिकल इंजीनियर	21 वर्ष	1. B.E./ B.Tech.(In Bio Medical Engineer) 2. 300 बिस्तरीय अस्पताल में 01 वर्ष का अनुभव।	60,000/-

टीप -

1. एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी. आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन पर वार्षिक वृद्धि देय होगी।
2. भारत का राजपत्र क्र. 27 जुलाई 11,2014 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रीयों का विनिर्देशन के अनुसार एम.एच.एम. को एमबीए/ एम कॉम (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए, की अधिसूचना जारी की गयी है। अतः अस्पताल प्रबंधक एवं अस्पताल सहायक प्रबंधक के पद जिनकी शैक्षणिक अर्हता अनुसूची अनुसार एम.एच.ए निर्धारित हैं, ऐसे पदों पद उक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते है।

1. आरक्षण :-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (Vertical) आरक्षण लागू होगा।

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

(2) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गो को विभिन्न प्रकार की छूट शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

Scanned with CamScanner

(3) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग/म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

04 यात्रा भत्ता :- अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

01. परीक्षा केंद्र :- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा किया जावेगा।

02. निरर्हता :-

(1) अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री या किसी समकक्ष प्रमाण पत्र उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐस रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस वापस किये जाने का दायित्व नहीं होगा।

(2)(क)कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां है या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2) (ख)कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियां है या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तक तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(2) (ग)कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी,2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नही होती है । परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

Scanned with CamScanner

(3) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या प्रतिरूपण/किया/कराया गया हो।

(4) कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।

(5) भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई गई हो।

(6) परीक्षा के समग्र अनियमित /अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो।

(7) परीक्षा के समय लगे कर्मचारियों/ अधिकारियों को धमकाया/दुर्व्यहार किया गया हो।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

(9) किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

07. <u>अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति :-</u>

अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नही होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी जो ऐसे चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

08. <u>अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा :-</u>

1. आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी ,समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
2. आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले क सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

09. <u>अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए</u> – किसी अभ्यर्थी की,जो निम्नलिखित किन्ही आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने :-

(क) ऑनलाइन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है,या

(ख) प्रतिरूपण किया हो,या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो, या

(घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गए हों जो रुपांतरित किए गए हों,या

Scanned with CamScanner

(ङ) ऐसे विवरण दिए हों,जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो,जो कि चयन के लिए आवश्यक हो, या

(च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो,या

(छ) परीक्षा कक्ष में किन्ही अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो,या

(ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक/वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो,या

(झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या

(ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

10. सामान्य शर्ते-

(1) आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

- अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए - 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय /निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों /नगर सैनिक/निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये - 45 वर्ष

<u>नोट :- आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।</u>

(2) सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

(3) नियुक्ति उपरान्त परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभाव नहीं होगा

(4) चयनित प्रत्याशी को पद पर उपस्थिति के पूर्व पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन मे पश्चात प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(5) नियुक्ति इस संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

(6) स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रकिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट www.gmcshahdol.org एवं www.mponline.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें। यदि आवेदक समय-समय पर जारी

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।

(7) अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल को भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण पर यथोचित कारण के साथ आंशिक/पूर्णरूप से निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

(8) चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(9) भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती में राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. के वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। परन्तु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

14 आवेदन कैसे करें:-

1. कृपया आवेदन भरने के पूर्व सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़े । आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया जाना

   अनिवार्य है :-

   1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/ सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र।
   2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में सबन्धित डिग्री /डिप्लोमा / फाईनल ईयर की मार्कशीट ।
   3. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
   4. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
   5. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
   6. जाति प्रमाण पत्र।

   (प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।)

4. यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरनें में काई समस्या आती है तो दूरभाष नम्बर 07557-6720200/0755-6720222 पर संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाइन के होमपेज पर "संपर्क करें" टैब अन्तर्गत शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

12. मैरिट सूची तैयार करने की प्रकिया :-

भर्ती परीक्षा उपरांत कॉमन,श्रेणीवार एवं संवर्गवार मेरिट सूची अभ्यर्थियों के भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा तैयार की जावेगी। उपरोक्त परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर मैरिट सूची तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रकिया क्रमानुसार अपनायी जावेगी :-

Scanned with CamScanner

1. अभ्यार्थियों के जन्म तिथि को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी।
2. बिन्दु कं. 01 समान होने की दशा में न्यूनतम अर्हता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।
3. बिन्दु कं. 01 एवं 02 समान होने की परिस्थिति में अभ्यार्थियों के 12 वी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत को वरीयता दी जावेगी।

Mscell

डॉ. मिलिन्द शिरालकर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.महा.वि./2022/2081-83 शहडोल, दिनांक 18/06/2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ प्रेषित ।

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल म.प्र.।
2. संभागायुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल म.प्र.।

Mscell

डॉ. मिलिन्द शिरालकर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner